रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2286] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935
No. 2286] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

का.आ. 2964 (अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 07.05.2013 की का.आ.सं.1163 (अ)के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिस में उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ; और

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया ; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।W

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

योजना जोन-'एम' में सुल्तानपुरी स्थित 11.498 हेक्टेयर के स्थल (सुविधा केन्द्र सं. 58) के भूमि उपयोग का ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं'' में परिवर्तन निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है ।

अवस्थिति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भूमि उपयोग (एमपीडी-2021 के अनुसार)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
योजना जोन-'एम' में, सुल्तानपुरी स्थित सुविधा केन्द्र सं. 58	11.498	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं	**उत्तर:**आवासीय **पूर्व-** आवासीय/नागलोई नाला **दक्षिण:**आवासीय **पश्चिम**: आवासीय/सड़क 30 मीटर मार्गाधिकार

[फा.सं. के-**13011/12/2013**-डीडी-।]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2013

S.O. 2964 (E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 1163 (E) dated 07.05.2013 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within Thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and

3. Whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter,decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The change of land use of the site (Facility Centre No. 58) measuring 11.498 Ha from "Residential" to "Public and Semi Public Facilities" at Sultanpuri in Planning Zone- 'M' is changed as per description listed below:

Location	**Area (In Ha.)**	**Land use (As per MPD-2021)**	**Land use changed to**	**Boundaries**
1	2	3	4	5
Facility Centre No. 58, Sultanpuri, in Planning Zone- 'M'	11.498	Residential	"Public & Semi Public Facilities"	North – Residential East – Residential/Nangloi Drain South – Residential West – Residential/Road 30 m R/W

[F. No. K-13011/12/2013-DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.